समयबद्ध

पत्र संख्या ::सी0सी0टी0/निरी0अनु0/(2018–19)/ 540 / 1819026 /वाणिज्य कर।
कार्या0–कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
{ निरीक्षण–अनुभाग}
लखनऊ : दिनांक 16, अगस्त, 2018

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त छोटे व्यापारियों की सुविधा हेतु 'वाणिज्य कर विभाग आपके द्वार' परिपत्र संख्या–1819018, दिनाक 02.07.2018 जारी किया गया, जिसमें वाणिज्य कर अधिकारी व असिस्टेन्ट कमिश्नर से अपेक्षा की गयी थी कि वह एक करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों के व्यापार स्थल पर जाकर उनके ई–मेल एवं फोन नम्बर अपडेट करेगें तथा उनका फोटो Abhyuthan app से लेकर पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही उनके रिटर्न दाखिल करने में आ रही किसी भी तकनीकी समस्या को दूर किया जायेगा एवं पाक्षिक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। लेकिन आपके जोन द्वारा इस अत्यन्त महत्वपूर्ण परिपत्र में दिये गये निर्देशों के पालन में शिथिलता बरती गयी है पोर्टल पर उपलब्ध डीलर मानीटरिंग माड्यूल के MIS विवरण के फोटो अपलोड वेरीफिकेशन की रिर्पोट दिनांक 06.08.2018 में कुल समाधान व्यापारियों की संख्या के का मात्र 4.84 प्रतिशत वेरीफिकेशन किया गया है।

1. दिनांक 07.08.2018 को वीडियो कान्फ्रेंसिग में इस कार्य की जोनवार समीक्षा की गयी थी। जो सभी जोनों की बहुत खराब थी। जोन में कार्यरत सभी असिस्टेन्ट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी को यह कार्य करना था साथ ही उक्त परिपत्र के बिन्दु सं0–05 में उल्लेख किया गया था कि "जिन खण्डों में ऐसी इकाईयों की संख्या–500 से अधिक है वहां एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, द्वारा पंजीयन प्रकोष्ठ में तैनात अधिकारियों को ऐसे खण्डों के व्यापारियों से सम्पर्क हेतु अधिकृत करते हुए कार्य करायेंगे।"
2. व्यापारियों से भविष्य में सूचना आदान–प्रदान के उद्देश्य से फोन नम्बर/E-mail id अपडेट करना, जानकारी के लिये व्यापार स्थल पर फोटो लेना इस परिपत्र का महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
3. नानफाईलर 3बी & GSTR-4 के व्यापारियों से सम्पर्क कर देखा जाना था कि रिटर्न फाइल करने में क्या कठिनाई है, जिससे शतप्रतिशत रिटर्न दाखिल हो सके। जिसमें विगत माहों में अपेक्षित सुधार नही हो रहा है।

अतः निर्देश दिया जाता है कि परिपत्र के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य में तेजी लाने के लिये जोन में कार्यरत समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारियों को इस महत्वपूर्ण योजना "वाणिज्य कर विभाग आपके द्वार" को सफल बनाने हेतु लगाया जाये, दैनिक समीक्षा की जाये तथा प्रत्येक दशा में उक्त कार्य को दिनांक 31.08.2018 तक पूर्ण कर लिया जाये।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।

यह पत्र माननीय कमिश्नर, महोदया के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

16/8/2018
(अजीत कुमार शुक्ला)
एडीशनल कमिश्नर(विधि)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।